"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2016— आषाढ़ 10, शक 1938

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-87/2011/18. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करता है, अर्थात् :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ. ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नगर निगम	उद्योग स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना (नगरीय क्षेत्र)	30 कार्य दिवस	1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो) या 2. आयुक्त नगर पालिक निगम	1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1. आयुक्त नगर पालिक निगम या 2. कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	नगर पालिका/ नगर पंचायत	उद्योग स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना (नगरीय क्षेत्र)	30 कार्य दिवस	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्रमांक एफ -4-87/2011/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-87/2011/18, दिनांक 01-07-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 1st July 2016

NOTIFICATION

No. F-4-87/2011/18.— In exercise of the powers conferred under Section 3, 4, 5 and 7 of Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act 2011 (No. 23 of 2011) the State Government hereby notify the services provided by the department, time limit for the services to be provided and designation of the prescribed officer, competent officer and appellate officer in the schedule given below :-

SCHEDULE

Sr. No.	Name of officer/ UIb/ Agency	Services to be provided under C. G. Lok Sewa Guarantee	Time limit for the Service to be provided	Authority (Designation) of the Lok Adhikari responsible	Competent Authority	Appellate Officer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nagar Nigam	NOC released for establishment of Industry (Urban Area)	Thirty Working Days	1. Officer Authorised by Commissioner (if authorised)	1. Officer Authorised by Commissioner	1. Commissioner Nagar Palik Nigam
				OR		OR
				2. Commissioner Nagar Palik Nigam		2. Collector

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Nagar Palika/ Nagar Panchayat	NOC released for establishment of Industry (Urban Area)	Thirty Working Days	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub Divisional Officer (Revenue)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.